(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम

(~~दिसम्बर 30, 2008~~ अप्रैल 1, 2018 तक यथासंशोधित)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

विषय सूची

1. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953
2. संसद अधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम 1956
3. संसद अधिकारी (मोटरकार अग्रिम) नियम 1953
4. संसद अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा प्रतिधारित निवास के लिए किराया) नियम 1974
5. संसद अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम 1993
6. संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पैंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953

(1953 का अधिनियम संख्या 20)

(16 मई, 1953)

संसद के कतिपय अधिकारियों के वेतन और भत्ते का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 है।

(2) यह 1953 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **परिभाषा** - इस अधिनियम में "संसद का अधिकारी" से निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी, अर्थात, राज्य सभा का सभापति तथा उप सभापति और लोक सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

***3. "संसद अधिकारी के वेतन आदि -**

(1) **राज्य सभा के सभापति को प्रतिमास ~~एक लाख पच्चीस हजार~~ चार लाख रूपये वेतन संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्य सभा के सभापति से भिन्न प्रत्येक संसद अधिकारी, ऐसे अधिकारी के रूप में अपनी सम्पूर्ण पदावधि के दौरान, प्रतिमास वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद सदस्यो की बाबत संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।

(3) राज्य सभा के सभापति से भिन्न प्रत्येक संसद अधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता उसी दर से प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद सदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है।"

---

* 26-12-1985 से प्रभावी 1985 के अधिनियम संख्या 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

** ~~01.01.2006~~ से ~~भूतलक्षी प्रभाव से~~ प्रभावी ~~2008~~ 2018 के अधिनियम ~~30~~ 13 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 01.01.2016

4. **संसद के अधिकारियों के लिए निवास स्थान** - #(1) संसद का प्रत्येक अधिकारी अपनी पदावधि भर और उसके ठीक पश्चात् [X]'एक मास' की अवधि तक किराया दिए बिना सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण के बारे में उस अधिकारी पर वैयक्तिक तौर पर कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

[XX]"(2) संसद के अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब इस बात का हकदार होगा कि उस सुसज्जित निवास-स्थान का, जो संसद के अधिकारी के अधियोग में था-

(क) उसकी मृत्यु के ठीक पश्चात् एक मास की अवधि के लिए उपयोग, किराया दिए बिना करे और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण के बारे में संसद के अधिकारी के कुटुम्ब पर कोई प्रभार नही पड़ेगा; तथा

(ख) एक मास की अतिरिक्त अवधि के लिए उपयोग ऐसी दरों पर किराया देकर करे जो धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के दौरान उस निवास- स्थान में उपयुक्त बिजली और पानी की बाबत प्रभार भी दे।"

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'निवाय-स्थान' के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द क्वार्टर और उससे अनुलग्न अन्य भवन और उसका उद्यान आते है और निवाय-स्थान के संबंध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय और रेटों और करों का संदाय और बिजली और पानी की व्यवस्था आते है।

01.11.1969 से प्रभावी 1972 के अधिनियम 49 द्वारा अन्त:संख्याकित किया गया।

X 01.11.1969 से प्रभावी 1972 के उक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

XX 1972 के अधिनियम 49 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

5. *संपचुअरी भत्ता - लोक सभा के अध्यक्ष को प्रतिमास एक हजार रूपये संपचुअरी भत्ता तथा उप-सभापति और उपाध्यक्ष को प्रतिमास पांच सौ रूपये संपचुअरी भत्ता संदत्त किया जाएगा।

#परन्तु 17 सितंबर, 2001 से ही संमचुअरी भत्ता:

(क) लोक सभा के अध्यक्ष को उसी दर पर संदत्त किया जाएगा जिस पर संमचुअरी भत्ता मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन प्रत्येक अन्य मंत्री को जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, संदेय है;

(ख) उपसभापति और उपाध्यक्ष को उसी दर पद संदत्त किया जाएगा जिस पर संमचुअरी भत्ता मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन किसी राज्य मंत्री को संदेय है।

6. **संसद के अधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ते-**

(1) धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, संसद का अधिकारी-

(क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुम्ब की चीज-बस्त के परिवहन के लिए यात्रा भत्ते

(1) पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर के अपने प्रायिक निवाय-स्थान से दिल्ली तक की यात्रा के बारे में, और

(2) पद-मुक्त होने पर दिल्ली से दिल्ली के बाहर के अपने प्रायिक निवाय-स्थान तक की यात्रा के बारे में; तथा

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, चाहे वे, समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा किए जाएं, यात्रा और दैनिक भत्ते, पाने का हकदार होगा।

---

* 26-12-1985 से प्रभावी 1985 के अधिनियम संख्या 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

\# 17.09.2001 से प्रभावी, 2002 के अधिनियम 29 द्वारा अन्त:स्थापित।

[X]"**(1-क)** संसद अधिकारी तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही, संसद् अधिकारी और उसका कुटुंब, चाहे वे साथ में यात्रा कर रहे हों या अलग से, यात्रा भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने और उतनी ही वापसी यात्राओं के हकदार होंगे, जिन दरों पर और जितनी यात्राएं मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन किसी मंत्री और उसके कुटुंभ को अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "वापसी यात्रा" से एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा और ऐसे दूसरे स्थान से पहले वर्णित स्थान की वापसी अभिप्रेत है।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी यात्रा भत्ता नकद दिया जा सकेगा या उसके बदले में नि:शुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी।

7. **संसद के अधिकारियों को चिकित्सीय सुविधाएँ** - धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन रहने हुए, संसद का कोई अधिकारी और उसके कुटुम्ब के सदस्य, सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में मुफ्त वास-सुविधा और चिकित्सीय उपचार के भी हकदार होंगे।

[**] 7क (1) संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही, संसद् के ऐसे अध्यक्ष की जिसकी ऐसा पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाती है, पत्नी या पति को उसके शेष जीवन-काल के लिए, अध्यक्ष की मृत्यु की तारीख से उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा:

परंतु ऐसे अध्यक्ष की पत्नी या पति, किसी ऐसे संसद् सदस्य की, जिसकी ऐसे सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, संसद् सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8क की उपधारा (1क) के अधीन पत्नी या पति को उपलब्ध पेंशन सदस्य की मृत्यु की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

X 17.09.2001 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी, 2002 से अधिनियम 56 द्वारा प्रतिस्थापित।

** 03.03.2002 से प्रभावी 2002 के अधिनियम 31 द्वारा अन्त: स्थापित।

(2) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी पत्नी या पति अपने शेष जीवन-काल में अनुळ्ाप्ति फीस का संदाय किए बिना असुसज्जित वास-सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए:-

(क) ऐसी पत्नी या पति उसके शेष जीवन-काल के लिए; और

(ख) ऐसे अध्यक्ष की अवयस्क संतान,

नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

8. **मोटरकार खरीदने के लिए संसद के अधिकारियों को अग्रिम** - संसद के किसी अधिकारी को, मोटरकार खरीदने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धन-राशि, जो धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी, जिससे वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधानुसार तथा दक्षता-पूर्ण निर्वहन कर सकें।

9. **संसद के अधिकारी, संसद के सदस्यों के रूप में वेतन या भत्ते नहीं लेंगे-** इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ता प्राप्त करने वाला संसद का कोई भी अधिकारी संसद द्वारा उपबंधित निधियों में से संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की अपनी सदस्यता के बारे में कोई धन-राशि, वेतन या भत्ते के तौर पर प्राप्त करने के लिए हकदार नही होगा।

10. **संसद के अधिकारियों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिसूचना उसका निश्चायक साक्ष्य होगी** - वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति संसद का अधिकारी बना हो या जिस तारीख को उसका अधिकारी रहना समाप्त हो गया हो, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्क होगी कि उस तारीख को वह संसद का अधिकारी बना था या उसका अधिकारी रहना समाप्त हो गया था।

*"10.क आयकर अधिनियम, 1961(1961का 43) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) राज्य सभा के सभापति की पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट भत्ते के रूप में कोई आय सम्मिलित नहीं की जाएगी;

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी संसद अधिकारी को उपलब्ध कराए गए किराया-मुफ्त सुसज्जित निवास-स्थान (जिसके अंतर्गत उसका अनुरक्षण है) का मूल्य, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने में सम्मिलित नही किया जाएगा।"

11. नियम बनाने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए सभापति या अध्यक्ष से परामर्श करके नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

---

* 1985 के अधिनियम 75 द्वारा अन्त: स्थापित तथा 1990 के अधिनियम 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

[$] संसद अधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1956

1. **संक्षिप्त नाम** - इस नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1956 है।

2. **राज्यसभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष को अनुज्ञेय भत्ते - राज्य सभा का सभापति और लोक सभा का अध्यक्ष, प्रत्येक -**

(क) अपना पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुंब की चीज-बस्तु के परिवहन के लिए उन्हीं यात्रा भत्तों का हकदार होगा जो मंत्रिमण्डल के किसी मंत्री को मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन उसके पदाग्रहण और पदमुक्त होने पर अनुज्ञेय है;

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत में किए गए अपने दौरों के बाने में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो मंत्रिमण्डल के किसी मंत्री को उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है;

(ग) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किए गए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक दशा में अवधारित करे।

$ हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3, दिनांक 31-8-1988 में प्रकाशित किया गया।

3. **लोक सभा के अध्यक्ष को अनुज्ञेय कुछ अतिरिक्त भत्ते-**

लोक सभा का अध्यक्ष लोक सभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर दिल्ली से अपने निर्वाचन-क्षेत्र (मुख्यालय) को की गई अपनी यात्रा के बारे में और आगामी सत्र के प्रारंभ पर वापस दिल्ली की यात्रा के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात्:-

(क) नियम-2 के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ते (दैनिक भत्ते के बिना) का;

(ख) स्वयं अपनी जोखिम पर अपनी मोटरकार के कर्षण के लिए वास्तविक प्रभार का; और

(ग) अपने कार चालक के लिए निम्नतम दर्जे के वास्तविक रेल किराए का।

4. **उप-सभापति और उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय भत्ते - राज्य सभा का उप-सभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष, प्रत्येक -**

(क) अपना पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर, अपने तथा अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुंब की चीज-बस्तु के परिवहन के लिए ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो किसी राज्यमंत्री को मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन उसके पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर अनुज्ञेय है:-

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत में किए गए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो उक्त नियमों के अधीन राज्यमंत्री को अनुज्ञेय है;

(ग) यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर दिल्ली से अपने निर्वाचन-क्षेत्र (मुख्यालय) को की गई अपनी यात्रा के बारे में और आगामी सत्र के प्रारंभ पर वापस दिल्ली की यात्रा के लिए खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता (दैनिक भत्ते के बिना) पाने का हकदार होगा;

(घ) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक दशा में, अवधारित करे।

4 क **यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के अग्रिम का संदाय** - किसी भी संसद अधिकारी को इन नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय किसी भी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते के अग्रिम का संदाय किया जा सकेगा।

5. **इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व संदत्त भत्तों के बारे में विशेष उपबंध** - किसी भी संसद अधिकारी को यात्रा और दैनिक भत्ते के रूप में इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व किए गए सभी संदाय उचित रूप से किए गए समझे जाएंगे, मानों वे दरें, जिन पर ऐसे भत्तों का संदाय किया गया था, इन नियमों के अधीन नियत की गई थी।

[@]संसद अधिकारी (मोटरकार अग्रिम) नियम, 1953

केंद्रीय सरकार, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, मोटरकार खरीदने के लिए संसद अधिकारियों को अग्रिम का दिया जाना विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (मोटरकार अग्रिम) नियम, 1953 है।

(2) ये 1 मई, 1953 को प्रवृत हुए समझे जाएंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम** - (1) ऐसी अधिकतम रकम जो किसी संसद अधिकारी को मोटरकार खरीदने के लिए उधार दी जाती है, "एक लाख" रूपये या उस मोटरकार की, जिसके खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इनमें से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अग्रिम रकम राष्ट्रपति के नाम में मंजूर की जाएगी और उसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार अधिप्रमाणिकृत किया जाएगा।

3. **अग्रिम का प्रतिसंदाय** - (1) नियम 2 के अधीन दिए गए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली, संबद्ध संसद अधिकारी के वेतन बिल से अधिक से अधिक साठ समान मासिक किस्तों में की जाएगी। किन्तु यदि अग्रिम लेने वाला संसद अधिकारी चाहे तो सरकार कम किस्तों में वसूली अनुज्ञात कर

@ हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3-क, दिनांक 31.8.1988 में प्रकाशित किया गया।

* भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), दिनांक 23.02.1999 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13(3)/98-का. अ. द्वारा प्रतिस्थापित।

सकेगी। कटौती अग्रिम लेने के पश्चात् वेतन के पहले बिल से प्रारंभ की जाएगी। अग्रिम पर साधारण ब्याज उस दर पर प्रभारित किया जाएगा जो सरकारी सेवकों द्वारा वाहन खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियत की जाए।

स्पष्टीकारण - प्रतिमास वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूर्ण रूपयों में नियत की जाएगी सिवास अंतिम किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसके अंतर्गत रूपये का कोई भाग भी है, वसूल की जाए।

(2) यदि कोई संसद अधिकारी अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय किए जाने के पूर्व अपना पद त्याग देता है तो शेष बकाया राशि उस पर ब्याज सहित तुरंत सरकार को एक मुश्त राशि में संदत्त की जाएगी।

4. **मोटरकार का विक्रय -** (1) उस दशा के सिवाय जब कोई संसद अधिकारी अपना पद छोड़ता है, संसद अधिकारी अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटरकार के विक्रय के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी उस दशा में लेगा जब ऐसा अग्रिम उस पर उद्भूत ब्जाय सहित पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नही कर दिया गया है। यदि कोई संसद अधिकारी अपनी मोदरकार का अंतरण किसी अन्य संसद अधिकार को करना चाहता है तो उसे मोटरकार से संबद्ध दायित्व का पश्चात्वर्ती संसद अधिकारी को अंतरण करने की सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु यह तब जब खरीदने वाला संसद अधिकारी यह घोषण अभिलिखित करे कि उसे इस बात की जानकारी है कि उसे अंतरित मोटरकार बंधक की हुई है और वह बंधपत्र के निबंधनों और उपबंधों से आबद्ध है।

(2) उन सभी मामलों में जहां किसी मोटरकार का विक्रय, सरकार से उसके खरीदने के लिए प्राप्त अग्रिम राशि का ब्याज सहित पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व किया जाता है, वहां विक्रय आगम का उपयोग, जहां तक आवश्यक हो ऐसी शेष बकाया रकम के प्रतिसंदाय के लिए किया जाना चाहिए। परंतु जब मोटरकार का विक्रय कोई दूसरी मोटरकार खरीदने के लिए ही किया जाता है, तब सरकार, संसद अधिकारी को विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा निम्तलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए दे सकेगी, अर्थात् :-

(क) बकाया रकम नई कार की लागत से अधिक नहीं होने दी जाएगी;

(ख) बकाया रकम का प्रतिसंदाय पूर्व नियत दर पर किया जाता रहेगा; और

(ग) नई कार का बीमा कराया जाएगा और वह सरकार को बंधक की जाएगी।

5. **अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए बातचीत पूरी की जा सकेगी** - अग्रिम लेकर मोटरकार खरीदने वाला संसद अधिकारी मोटरकार खरीदने की बातचीत पूरी करके उसका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगा; ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल रहने पर, लिए गए अग्रिम की पूरी रकम उस पर एक मास के ब्याज सहित सरकार को वापस कर दी जाएगी। जब किसी मोटरकार की खरीद करके उसका पूरा संदाय किया जा चुका हो तब मोटरकार की खरीद करने के लिए कोई अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा। किसी ऐसे मामले में जिसमें संदाय भागरूप किया गया है, अग्रिम की रकम, दी जाने वाली बाकी रकम तक सीमित होगी जैसा संसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

6. **करार का निष्पादन** - अग्रिम लेते समय संसद अधिकारी से प्ररूप 1 में करार निष्पादन करने की अपेक्षा की जाएगी और खरीद पूरी होने पर, उससे प्ररूप 2 में एक ऐसा बंधक-पत्र निष्पादित करने की भी अपेक्षा की जाएगी जिसमें अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में मोटरकार सरकार को आडमान (गिरवी) रखी गई हो। मोटरकार की कीमत बंधक-पत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जाएगी।

7. **वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाणपत्र** - जब कोई अग्रिम लिया जाता है तब मंजूरी प्राधिकारी, राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि अग्रिम लेने वाले संसद अधिकारी ने प्रारूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए है और वह करार ठीक पाया गया है। मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि मोटरकार की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी बंधक-पत्र को अंतिम रूप से अभिलेख में रखने से पूर्व राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तुरंत प्रस्तुत करेगा।

8. **बंधक-पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना** - बंधक-पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा अभिरक्षा में रखा जाएगा। जब अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय कर दिया गया जो तब अग्रिम और ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बंधक-पत्र सम्यकत: रद्द किया जाकर संबद्ध संसद अधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

9. **मोटरकार का बीमा** - अग्रिम से खरीदी गई मोटरकार का अग्नि, चोरी या दुर्घटना से होने वाली पूरी हानि के लिए बीमा कराया जाएगा। बीमा पालिसी में एक ऐसा खंड (जैसा प्रारूप 3 में है) होगा जिसके द्वारा बीमा कंमनी मोटरकार की ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का संदाय स्वामी को करने के बजाय सरकार को करने के लिए करार करती है।

प्ररूप - 1

मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम लेने समय किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.. .. .. जो संसद का एक अधिकारी है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .. .. को किया गया।

उधार लेने वाले ने मोटकार खरीदने के लिए संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 के अधीन बनाए गए नियमों के, जो मोटरकार के खरीदने के लिए संसद के अधिकारियों को अग्रिम की मंजूरी को विनियमित करते हैं, उपबंधों के अधीन .. .. रूपयें (.. .. .. रूपये) उधार दिए जाने के लिए कैंद्रीय सरकार को आवेदन किया है और कैंद्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम आगे दिए गए निबंधनों और शर्तो पर उधार देने के लिए सहमत हो गई है।

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाला कैंद्रीय सरकार द्वारा उसे दी जाने वाली .. .. रूपये (.. .. .. रूपये) की रकम के प्रतिफलस्वरूप कैंद्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) कैंद्रीय सरकार को उक्त रकम का तथा उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती करके करेगा,जैसा कि अक्त नियमों में उपबंधित है, और एसी कटौतियॉ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिक्रत करता है, और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम मोटरकार खरीदने में लगाएगा या यदि उसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम के कम है तो शेष रकम कैंद्रीय सरकार को तुरंत लौटा देगा, और (3) उधार लेने वाले को पूर्वोक्त उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटरकार को कैंद्रीय सरकार के पक्ष में आडमान (गिरवी) रखने के लिए उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा। यह करार किया गया जाता है और घोषण की जाती है कि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त मोटरकार खरीदी और आडमान रखी नही जाती है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उघार की पूरी रकम और उस पर ब्याज तुरंत शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त दिन और वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

उक्त .. ..

(उधार लेने वाले का नाम) ने (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

.. .. पदनाम.. .. ..

(साक्षी के हस्ताक्षर) कार्यालय.. .. ..

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप - 2

मोटरकार अग्रिम के लिए बंधकपत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में .. .. (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया हे और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख .. .. को किया गया।

उधार लेने वाले ने एक मोटरकार खरीदने के लिए संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 के अधीन बनाए गए नियमों (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के, जो मोटरकार खरीदने के लिए संसद के अधिकारियों को अग्रिम मंजूर करने के बारे में हैं, नियम 3 के निबंधनों पर .. .. रूपये के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर किया गया है और उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम जिन शर्तो पर दिया गया है उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गइर्् रकम के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटरकार राष्ट्रपति को आडमान (गिरवी) रखेगा ओर उधार लेने वाले पूर्वोक्ति के रूप में इस प्रकार अग्रिम रकम से, या उसके भाग से मोटरकार, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसुची में दी गई हैं, खरीद ली है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त .. .. रूपये की रकम या उसके उस भाग का जो इस विलेख की तारीख तक शेष रह जाता है .. .. रूपये की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय देय और शेष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया ब्याज देगा। उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमों द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेंगी और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेने वाला मोटरकार का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में दी गई है, उक्त अग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अंतरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह धोषणा करता है कि उसने उक्त मोटरकार की पूरी कीमत का संदाय कर दिया है और वह पूर्ण रूप से उसकी संपत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह उक्त मोटरकार को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्ज़े को छोडेगा। यह भी करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नही दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि उधार लेने की किसी समय मृत्यु हो जाती है, या किसी भी समय अपना पद छोड़ देता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटरकार को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आंरभ करता है तो उक्त मूल धन की पूरी रकम को जो उस समय देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप से लगाए गए ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी और यह करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित धटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटरकार को अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे, या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलामी अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में से उक्त अग्रिम का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे, परन्तु उक्त मोटरकार का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष और ब्याज के लिए अथवा यदि मोटरकार बेच दी जाती है तो उतनी रकम के लिए जितनी से बेचने से प्राप्त शुद्ध आगम देय रकम से कम पड़े राष्ट्रपति के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और बाकी रहे तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटरकार का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कंमनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू रखेगा तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कंपनी को, जिसमें उक्त मोटरकार का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हितबद्ध है। उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटरकार को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटरकार को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्धटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटरकार का वर्णन :

गाड़ी का नाम :

वर्णन :

सिलेंडरों की संख्या :

इंजिन संख्या :

चैसिस संख्या :

लागत :

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त.. .. .. (उधार लेने वाने का नाम) और राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से .. .. ने उक्त दिन और वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है-

उक्त.. .. ..

ने

1. .. .. (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर 2. .. ..

.. .. और पदनाम)

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

.. ..

(अधिकारी का नाम और पदनाम) (अधिकारी के हस्ताक्षर)

ने

1. .. .. पदनाम.. .. ..

2. .. .. कार्यालय .. ..

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम .. ..

प्ररूप-3

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खंड का प्ररूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री.. .. .. ने (मोटरकार का स्वामी जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) कार केन्द्रीय सरकार को (या भारत संघ के राष्ट्रपति को) उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दी है, जो उस मोटरकार के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार (या राष्ट्रपति) ऐसे धन में भी हितबद्ध हैं जो, यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री .. .. (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) की उक्त मोटरकार की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होगा। ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह इस मोटरकार की बंधकदार है। सरकार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया हे उसके सिवास इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंमनी के इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

*संसद अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा प्रतिधारित निवास के लिए किराया) नियम, 1974

सा0 का0 नि0 200- केन्द्रीय सरकार, संसद -अधिकारियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य-सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का नाम संसद-अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा प्रतिधारित निवास के लिए किराया) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा-

इन नियमों में, "अधिनियम" से अभिप्रेत है, संसद अधिकारियों के संबलमो और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।

3. मृत्यु के पश्चात् कुटुम्ब द्वारा निवास के लिए किराया-

जहाँ संसद-अधिकारी का कुटुम्ब, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, निवास का अधिभोग रखता हो, वहाँ कुटुम्ब से मूल नियम 45-क के उपबंधो के अनुसार किराया, या यदि किराया पूलित कर दिया गया हो तो मूल-नियम 45-क के अधीन पूलित मानक-किराया, लिया जाएगा।

---

* भारत के असाधरण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (I) दिनांक 18-12-1992 में प्रकाशित अधिसूचना स0 फा0 198/70-पी0 ए0 विधायी, दिनांक 7-2-1974

*संसद अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1993

सा0 का0 नि0 282(अ)- केन्द्रीय सरकार, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 7 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य-सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, संसद के अधिकारियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार प्रदान किए जाने का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चिकित्सीय परिचर्या और उपचार-

(1) संसद का अधिकारी और उसके कुटुम्ब के सदस्य, उस पैमाने और उन शर्तों पर, जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और उनके कुटुम्बों के सदस्यों को लागू हैं, नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

(2) भारत के बाहर कर्तव्यारूढ़ रहने के दौरान संसद का कोई अधिकारी भी नि:शुल्क ऐसी चिकित्सीय परिचर्या और उपचार का हकदार होगा, जो उस स्थान पर भारतीय मिशन के प्रधानों को अनुज्ञेय हो।

टिप्पण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "कुटुम्ब" का वही अर्थ होगा जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 में परिभाषित है।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) दिनांक 15-3-1993 में प्रकाशित।

3. **निरसन और व्यावृत्ति** - सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स सर्विसेज (मैडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1938, जो अधिसूचना सं0 59(1)-ई0 वी0/53 (वित्त मंत्रालय), तारीख 17 अप्रैल, 1954 द्वारा संसद के अधिकारियों को लागू हैं, उन बातों के सिवाय निरसित किए जाते हैं, जिन्हें इन नियमों के निरसन से पूर्व किया गया था।

*संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002

भारत का राजपत्र: असाधारण [भाग II - खण्ड 3(1)]

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 **जुलाई**, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) - इस नियमों का संक्षिप्त नाम [संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा- अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002] है।

(2) वे 3 मार्च, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

(क) "चिकित्सीय परिचारक" से आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति से व्यवसाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(ख) "चिकित्सीय देखभाल और उपचार" से चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सालय आश्रयण, दवाइयों की लागत, रोग लक्षणां संबंधी और विकृति संबंधी परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षा और शल्यक्रिया की अन्य पद्धतियां जिनकी पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष का पति या पत्नी और ऐसे अध्यक्ष के अवयस्क बालक अपेक्षा करें, अभिप्रेत है;

(ग) "निवास" से निम्नलिखित प्रकृति का कोई निवास स्थान अभिप्रेत है-

(i) टाइप VII बंगला ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध है या यदि टाइप VII बंगला उपलब्ध नहीं है तो अगले उच्चतम टाइप का आवास; या

---

*स. क. म. अधिसूचना सं0 13(2)/2002 का. अ. दिनांक 31.7.2002, भारत के राजपत्र असधारण, भाग-II, खण्ड-3(1) दिनांक 31.7.2002 में प्रकाशित।

(ii) ऐसी प्रकृति का निवास स्थान, जिसमें दो हजार वर्ग फीट से अधिक आवास क्षेत्र जहां है; ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध नहीं है;

(घ) "पदस्थ मरने वाला अध्यक्ष" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी लोकसभा के अध्यक्ष का पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाती है;

(ड.) "पति या पत्नी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष से वैध रूप से विवाहित है;

(च) "यात्रा व्यय" से निम्नलिखित अभिप्रेत,-

(i) सरकारी चिकित्सा अधिकारियों की दशा में, ऐसे यात्रा भत्ते जो उन्हें उनकी सेवा के नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो; और

(ii) सरकारी चिकित्सा अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों की दशा में, यात्रा पर उपगत ऐसा व्यय जो किसी समूहीक सरकारी 'क' सेवक को अनुज्ञेय अधिकतम रकम से अधिक न हो।

3. **पेंशन** - लोकसभा सचिवालय पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा जिसमें कुटुंब पेंशन की रकम और अन्य सुविधाएं जिनके लिए पति या पत्नी और अवयस्क बालक हकदार होंगे, सम्मिलित होंगी।

4. **आवासन** - (1) संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, पति या पत्नी के लिए, उसके शेष जीवन काल के लिए अनुज्ञप्ति फीस के संदाय बिना भारत में किसी स्थान पर, पति या पत्नी के चुनाव पर, या तो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा भाड़े पर लिए गए असुसज्जित आवास की व्यवस्था करेगा।

(2) आवास के लिए विद्युत और जल प्रभार पति या पत्नी द्वारा वहन किए जाएंगे।

5. **चिकित्सीय देखभाल और उपचार** - (1) पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष का पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालक या दोनों अपने आवास पर, या भारत में किसी क्लिनिक, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) या वैसी ही प्रकृति की संस्था या चिकित्सीय परिचारक के परामर्श कक्ष में चिकित्सीय देखभाल और उपचार के हकदार होंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सेवाओं पर उपगत सभी व्यय, पति या पत्नी द्वारा प्ररूप-1 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर लोकसभा सचिवालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

6. **यात्रा व्यय** - (1) पति या पत्नी या अवयस्क बालकों या पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष के पति या पत्नी या अवयस्क बालकों या दोनों की चिकित्सीय देखभाल या उपचार के संबंध में किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा विशेषज्ञ या किसी चिकित्सीय परिचारक द्वारा उपगत सभी यात्रा व्यय पति या पत्नी द्वारा प्ररूप-2 में उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर लोक सभा सचिवालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार का ऐसा चिकित्सा अधिकारी, जो ऐसे अध्यक्ष के पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालाकों या दोनों की देखभाल करने के लिए यात्रा करता है, तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार यात्रा व्ययों का हकदार होगा और कोई चिकित्सा अधिकारी जो राज्य सरकार का है, इस मद्धे सीधे लोकसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।

(7) **निर्वचन और कठिनाई का निराकरण**- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या इन नियमों के उपबंधो के अनुपालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप-1

[नियम 5(2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि निकाली गई.....रू0 (.....रुपए) की रकम, श्री/श्रीमती....., के जो स्वर्गीय श्री..... भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी.....को पदस्थ मृत्यु हो गई थी, चिकित्सा उपचार/देखभाल/परामर्श के संबंध में व्यय की गई है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

स्थान.....

प्ररूप-2

[नियम 6(1) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो स्वर्गीय श्री/श्रीमती..... भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्ष के रूप में पदस्थ रहते समय मृत्यु हो गई थी, के पति/की पत्नी है, द्वारा निकाली गई .....रूपए

(अंको में रकम का उल्लेख करें)

(.....

.....रूपए)

(शब्दों में रकम का उल्लेख करें)

की रकम उसके पति/उसकी पत्नी या उनके अवयस्क बालक या किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा विशेषज्ञ या चिकित्सीय परिचारक द्वारा, पति या पत्नी या उनके अवयस्क बालक की चिकित्सीय देखभाल या उपचार के संबंध में यात्रा व्यय के रूप में उपगत की गई है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

स्थान.....

[फा.सं. 13(2)/2002-डब्ल्यू एस]

डा. एम. रहमान, सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

संसद अधिकारी, वेतन और भत्ताके (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002, 3 मार्च, 2002 से प्रवृत हुआ है। अत: इन नियमों को 3 मार्च, 2002 से, जो वह तारीख है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत हुआ था, प्रभावी इसके की प्रस्थाता है। यह प्रमार्णित किया जाता है कि नियमों के भतलक्षी रूप से प्रवर्दन के कारण किसी व्यक्ति के प्रभावित होने की संभावना नही है।

0 हिन्दी अनुवाद भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 - अनुभाग 1क, दिनांक 24-9-1975 में प्रकाशित किया गया।

* 26-12-1985 से प्रभावी 1985 के अधिनियम संख्या 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

** 01.01.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी 2008 के अधिनियम 30 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

\# 01.11.1969 से प्रभावी 1972 के अधिनियम 49 द्वारा अन्त:संख्याकित किया गया।

X 01.11.1969 से प्रभावी 1972 के उक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

XX 1972 के अधिनियम 49 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

* 26-12-1985 से प्रभावी 1985 के अधिनियम संख्या 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

\# 17.09.2001 से प्रभावी, 2002 के अधिनियम 29 द्वारा अन्त:स्थापित।

X 17.09.2001 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी, 2002 से अधिनियम 56 द्वारा प्रतिस्थापित।

** 03.03.2002 से प्रभावी 2002 के अधिनियम 31 द्वारा अन्त: स्थापित।

* 1985 के अधिनियम 75 द्वारा अन्त: स्थापित तथा 1990 के अधिनियम 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

$ हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3, दिनांक 31-8-1988 में प्रकाशित किया गया।

@ हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3-क, दिनांक 31.8.1988 में प्रकाशित किया गया।

* भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), दिनांक 23.02.1999 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13(3)/98-का. अ. द्वारा प्रतिस्थापित।

* भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (I) दिनांक 18-12-1992 में प्रकाशित अधिसूचना स0 फा0 198/70-पी0 ए0 विधायी, दिनांक 7-2-1974

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) दिनांक 15-3-1993 में प्रकाशित।

* स. क. म. अधिसूचना सं0 13(2)/2002 का. अ. दिनांक 31.7.2002, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3(1) दिनांक 31.7.2002 में प्रकाशित।